

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-26062023-246819
SG-DL-E-26062023-246819असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 195]	दिल्ली, सोमवार, जून 26, 2023/आषाढ़ 5, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 111
No. 195]	DELHI, MONDAY, JUNE 26, 2023/ASHADHA 5, 1945	[N. C. T. D. No. 111

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस-II) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 22 जून, 2023

फा0 सं0 8/95/2020/गृह पुलिस-II/पार्ट फाइल-III/2133-2146.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 20मार्च, 1974 की अधिसूचना संख्या 11011/2/74-यू टी एल (i) के साथ पठित आपराधिकप्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 24 की उपधारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा दिनांक 24.06.2020, 30.07.2020 और 26.07.2021 की पूर्ववर्ती अधिसूचना द्वारा क्रमशः नियुक्त 11 विशेष लोक अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक के रूप में 06 विधि अधिकारी/वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता और विशेष लोक अभियोजक के रूप में 03विधि अधिकारी/वरिष्ठ अधिवक्ता/अधिवक्ता के अनुक्रम में,सक्षम प्राधिकारी एतद्वारा निम्नलिखित 02 विधिक विशेषज्ञ को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करते हैं—

1. श्री वी.पी. श्रीवास्तव
2. श्री चंदन कुमार पांडे

वे उत्तर-पूर्व जिला, दिल्ली के दंगे वाले मामलों में दर्ज की गई सभी एफ.आई.आर. के संबंध में विभिन्न न्यायालयों में आरोपी पक्षों अथवा गैर सरकारी संगठनों द्वारा दायर की गई जमानत, परीक्षण, अपील, तथा सभी अन्य विविध मामले, आवेदन एवं रिट याचिका सहित समस्त न्यायालयसंबंधी कार्यवाहियों का संचालन करेंगे।

उपरोक्त उल्लिखित विशेष लोक अभियोजक को मामले का संचालन करने के लिए निम्नलिखित शुल्क देय होगा :-

1. प्रभावी सुनवाई प्रभार — प्रतिदिन 5000 /— रुपये + 10% लिपिकीय प्रभार
2. अप्रभावी सुनवाई प्रभार — प्रतिदिन 1000 /— रुपये
3. अधिकतम सुनवाई प्रभार

(मामलों की संख्या की परवाह किए बिना)

यह माननीय उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

राजन भटनागर, उप-सचिव (गृह-II)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd June, 2023

No. F. 8/95/2020/HP-II/Pt. File-III/2133-2146.—In exercise of the powers conferred by sub-section (8) of section 24 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. 11011/2/74-UTL (i) dated the 20th March, 1974, and in continuation to the 11 Special Public Prosecutors, 06 Law Officers/Senior advocates/advocates as Special Public Prosecutors & 03 Law Officers/Senior advocates/advocates as Special Public Prosecutors appointed vide earlier Notifications dated 24.06.2020, 30-07-2020 & 26-07-2021 respectively, the Competent Authority, is pleased to appoint the following 02 legal experts as Special Public Prosecutors:-

1. Sh. V.P. Srivastava
2. Sh. Chandan Kumar Pandey

They shall conduct all court proceedings including Bail, Trial, Appeals, and all other Miscellaneous matters, applications and Writ Petition filed by the accused parties or NGOs in various courts in connection with all the FIRs which have been registered in riots cases of North East District, Delhi.

The following fee shall be payable to above mentioned Special Public Prosecutor to conduct the case:-

1. Effective hearing charge - Rs. 5000/- per day + 10% Clerical Charges
 2. Non-effective hearing charge - Rs. 1000/- per day
 3. Maximum hearing charges} - Rs. 20,000/- per day
- Irrespective of no. of cases}

This issues with the approval of Hon'ble Lieutenant Governor, GNCT of Delhi.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,

RAJAN BHATNAGAR, Dy. Secy. (Home-II)